पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0–2–14
क्रमांक 156/2017
आरबीई सं0–80/2017
सं0 ई/227/2/भाग–15/IV

दिनॉक 14–08–2017

1. सचिव/महाप्रबन्धक
2. सचिव/अपर महाप्रबन्धक
3. सभी विभागाध्यक्ष
4. अध्यक्ष/नरसा
5. सचिव/नरसा
6. वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी
7. सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
8. सभी कार्मिक अधिकारी
9. सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
10. सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–खेलकूद कोटे के सम्बन्ध में क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों में खिलाड़ियों की भर्ती।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2015/ई(स्पोटर्स)/4(1)/11 दिनांक 31 जुलाई 2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

14.08.17
(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

14.08.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

R-178

RBE No.80/ 2017
Clarification/Corrigendum No. 81

2
156/2017

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No. 2015/E(Sports)/4(1)/11

New Delhi, dated. 31.07 July, 2017

The General Managers (P),

All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

विषय: Recruitment of sportspersons on Zonal Railways/ Production Units against Sports Quota.

सन्दर्भ: Board's letter of even number dated 25.05.2016.

Attention is invited to Board's letter of even number dated 25.05.2016 wherein it was decided that the Group 'D' quota allotted for recruitment of sportspersons in Grade Pay Rs. 1800/- may be frozen for the year 2016-17.

It was decided in the Meeting of Presidents and Secretaries of Zonal Railways Sports Association's with RSPB held in Rail Bhawan on 08.05.2017 that the Freeze on Recruitment of sports persons in GP Rs.1800 will continue during the year 2017-18 also. During the meeting certain Units had raised the issue of non availability of vacancies in Group 'C' and requested for recruitment in Group 'D' to be in introduced in such case.

It has been decided that while freeze of Recruitment under sports quota in Grade Pay Rs.1800/- will continue in 2017-18 also, in case of non availability of vacancies in Group 'C' in any Production Unit, they can approach Railway Board with their proposal to recruit sportspersons in erstwhile Group 'D' category against open advertisement with full justification with recommendation of their General Managers.

(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director, Estt.(Sports)

Sanjay/RSPB/2015/E(Sports)/4(1)/11/Open Adv.

आरबीई सं.80/2017

स्पष्टीकरण/शुद्धि पत्र सं. 81

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

सं. 2015 /ई (स्पोर्ट्स)/4(1)/11

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 2017

महाप्रबंधक (पी),

सभी क्षेत्रीय रेलें तथा
सीएलडब्ल्यू , डीएलडब्ल्यू, आईसीएफ,आरसीएफ, आईडब्ल्यूएफ, मेट्रो रेलवे/कोलकाता,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीएमडब्ल्यू /पटियाला,
महानिदेशक, अअमासं/लखनऊ

विषय : खेलकूद कोटे के संबंध में क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों में खिलाड़ियों की भर्ती

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 25.05.2016.का समसंख्यक पत्र ।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 25.05.2016 के समसंख्यक पत्र की ओर दिलाया जाता है जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि ग्रेड पे 1800/-रुपए में खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आबंटित ग्रुप 'डी' कोटा को वर्ष 2016-17 के लिए स्थगित किया जाए।

08.05.2017 को रेल भवन में क्षेत्रीय रेलवे खेलकूद एसोसिएशन के अध्यक्षों तथा सचिवों की आरएसपीबी के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ग्रेड पे 1800/रुपए में खिलाड़ियों की भर्ती पर लगी रोक वर्ष 2017-18 के दौरान भी जारी रहेगी । बैठक के दौरान कुछ इकाइयों ने ग्रुप 'सी' में रिक्तियों के उपलब्ध न होने का मुद्दा उठाया था तथा ऐसे मामले में ग्रुप 'डी' में भर्ती करने का अनुरोध किया गया ।

यह निर्णय लिया गया है कि ग्रेड पे 1800/रुपए में खेलकूद कोटा के अंतर्गत खिलाड़ियों की भर्ती पर लगी रोक 2017-18 में भी जारी रहेगी, किसी उत्पादन इकाई में ग्रुप 'सी' में रिक्तियों के उपलब्ध न होने पर वे अपने महाप्रबंधकों की सिफ़ारिश पर पूर्ण औचित्य देते हुए खुले विज्ञापन के माध्यम से पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' कोटि में खिलाड़ियों की भर्ती के लिए अपने प्रस्ताव के साथ रेलवे बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं ।

(भास्कर राय चौधरी)
उप निदेशक, स्था.(स्पोर्ट्स)